प्रारुप क्रमांक 03 (न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र)

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

डी.एल.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शिक्षण अनुभव प्रमाण-पत्र

विद्यालय का पंजीयन क्रमांक	
विद्यालय का नाम	
विद्यालय का पता	
विद्यालय का दूरभाष क्रं	
विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण प	त्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक —
पमाणित किया जाता	है कि श्री/श्रीमती/ कु
	इस विद्यालय में
पद पर दिनांक	से तक कार्य किया है।
सील	हस्ताक्षर
	प्राचार्य / प्रधानाध्यापक
	नाम —

नोट :— उक्त प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की काँट—छाँट, ओवर राईटिंग या सफेदा लगा होने की दशा में प्राचार्य के उस जगह पर काउंटर साइन व सील होना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा व प्रवेश निरस्त किया जावेगा। शाला प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जावेगा अतः काउंसिलंग के दौरान ही बनवाएं ताकि तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो।

अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

- 1. अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य/प्राधानपाठक से पूर्ण रुप से भरवाकर सत्यापन के दौरान मूलप्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारुप में स्वीकार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार की कांट—छांट न करें।
- 2. दो अलग—अलग शाला में अध्यापनरत रहें शिक्षकों को दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें पहला न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव दर्शाता हो एवं दूसरा जो की वर्तमान में छत्तीसगढ़ की शाला में अध्यापनरत होना दर्शाता हों। 2 वर्ष का अनुभव 31 जुलाई—2023 तक में पूर्ण होना चाहिये एवं निरंतर कार्यरत होना चाहिए।

प्रारुप क्रमांक 04 (वर्तमान में कार्यरत होने का अनुभव प्रमाण-पत्र)

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

डी.एल.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र

विद्यालय का पंजीयन क्रमांक	
विद्यालय का नाम	
विद्यालय का पता	
विद्यालय का दूरभाष क्रं	
विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण प	त्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक —
पिता / पति	है कि श्री/श्रीमती/ कुइस विद्यालय मेंसे निरंतर वर्तमान मे कार्यरत है।
सील	हस्ताक्षर प्राचार्य / प्रधानाध्यापक
	प्राचाय / प्रधानाध्यापक नाम —

नोट :— उक्त प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की काँट—छाँट, ओवर राईटिंग या सफेदा लगा होने की दशा में प्राचार्य के उस जगह पर काउंटर साइन व सील होना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा व प्रवेश निरस्त किया जावेगा। शाला प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जावेगा अतः काउंसिलंग के दौरान ही बनवाएं तािक तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो।

अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

- 1. अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य/प्राधानपाठक से पूर्ण रुप से भरवाकर सत्यापन के दौरान मूलप्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारुप में स्वीकार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार की कांट—छांट न करें।
- 2. दो अलग—अलग शाला में अध्यापनरत रहें शिक्षकों को दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें पहला न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव दर्शाता हो एवं दूसरा जो की वर्तमान में छत्तीसगढ़ की शाला में अध्यापनरत होना दर्शाता हों। 2 वर्ष का अनुभव 31 जूलाई—2023 तक में पूर्ण होना चाहिये एवं निरंतर कार्यरत होना चाहिए।